



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-21062025-264029
CG-CG-E-21062025-264029

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2688]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 20 2025/ज्येष्ठ 30, 1947

No. 2688]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 20, 2025/JYAISTHA 30, 1947

रेल मंत्रालय
(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 19 जून, 2025

का.आ. 2753(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड 37ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक उद्देश्य से राष्ट्रीय अवसरचना मुहैया कराने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष रेल परियोजना के रूप में नीचे दी गयी सारणी के कालम (2) में उल्लेखित निम्नलिखित परियोजना को अधिसूचित करती है, जो कि सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

सारणी

क्रमांक सं.	परियोजना का नाम
(1)	(2)
1.	बिलासपुर डिवीजन - एडीईएन/आरआईजी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत केडीटीआर-बीईएफ के बीच किमी-599/18-20 पर नियंत्रण रेखा संख्या BK-101 के स्थान पर अद्वारे एलएचएस का निर्माण

[फा. सं. डीवाई.सीई/जीएसयू/बी एस पी/आर ओ बी/एल सी संख्या BK-101/भूमि अधिग्रहण]
संजय बा. नागभिडकर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/सी/आरएसपी

MINISTRY OF RAILWAYS**(S.E.C. Railway)****NOTIFICATION**

Bilaspur, the 19th June, 2025

S.O. 2753(E).—In exercise of powers conferred by clause 37A of section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby notifies the following projects as mentioned in column (2) of the Table below as Special Railway Projects in the State of Chhattisgarh for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in official gazette.

Table

Serial Number	Name of Project
(1)	(2)
1.	“Bilaspur Division - Elimination of Manned level crossings No.BK-101 at Km.1013/27-29 between Rupaund - Jhalwara stations by providing ROB between APR-NKJ section.”.

[F. No DY.CE/GSU/BSP/ROB/LC No. BK-101/land acquisition]
SANJAY B. NAGBHIDKAR, Chief Administrative Officer/C/RSP